संख्या 1323/उन्तीस(2)10–2(22पे0)/2010

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादून दिनांक 24 सितम्बर, 2010

विषयः– राज्य सैक्टर ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में चालू पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यो हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 1121/नियोजन अनुभाग/धनावंटन प्रस्ताव/54 दिनांक 25.05.10, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में निम्न विवरणानुसार निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यो हेतु कुल रू0 303.30 लाख (रू0 तीन करोड तीन लाख तीस हजार मात्र) के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	पूर्व अवमुक्त	स्वीकृत की जा रही धनराशि
	टिहरी			
1	घनसाली पुनर्गठन	268.85	225.00	43.85
	नैनीताल			
2	मनाघेर पुनर्गठन पेयजल योजना	159.45	100.00	59.45
	रूद्रप्रयाग			
4	तैला सिलगढ़ ग्रा0स0पेयजल योजना	623.46	100.00	100.00
5	जवाडी रौठिया ग्रा0स0पेयजल योजना	1294.64	100.00	100.00
	योग			**303.30**

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एंव दिनांक की सूचना शासन एंव महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी तथा यथा समय बी0एम0–08 व बी0एम0–13 पर विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3– सम्बन्धित योजनाओं की लागत में यदि कोई परिवर्तन निगम द्वारा किया गया हो तो उससे तत्काल शासन को अवगत कराया जाय तथा निगम यह सुनिश्चित एंव प्रमाणित कर लेगा कि पूर्व अवमुक्त धनराशि में कोई भिन्नता नहीं है एंव यह भी सुनिश्चित कर लेगा कि यदि पूर्व अवमुक्त धनराशि वर्णित राशि से अधिक है तो व्यय स्वीकृत लागत की सीमा तक ही किया जायेगा एंव शेष राशि समर्पित की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटन के अनुसार ही किया जायेगा ओर किसी अन्य योजना पर व्यावर्तन अपने स्तर से नहीं किया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.12.2010 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोग प्रमाण–पत्र (Utilization Certificate) शासन को प्रस्तुत किया जाय।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

कमशः.2.

7– निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

8. योजनाओं/कार्यो पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत आंगणन नार्म है। स्वीकृत आंगणन से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

9. कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

10– योजनाओं की स्वीकृति से सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

11– कराये जाने वाले कार्यो पर वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007, दिनांक 22.05.08 के अनुसार सेन्टेज प्रभार अनुमन्य होगा।

12– कार्य के कियान्वयन एंव निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन कड़ाई से किया जाय।

13– इन योजनाओं पर धनावंटन से सम्बन्धित निर्गत पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्ते यथावत रहेंगी।

14– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV– 219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य करते समय/कार्य करते समय कढ़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

15– उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2000–11 में अनुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यकम–03– ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर– 00– 20– सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे" डाला जायेगा ।

16– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–187/XXVII(2)/2010 दिनांक 20 सितम्बर 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

पृ0सं0 1323(i)/उन्तीस(2)/10–2(22पे0)/2010तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. मण्डलायुक्त गढवाल/कुमॉयू मण्डल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिर्ष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल ।
6. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य जल एंव स्वच्छता मिशन, उत्तराखण्ड,दे0दून।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
10. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
11. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव